पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 21

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		834.05	115.00	949.05	594.05	105.85	699.90	740.80	111.00	851.80
पूंजी		*15.95*	*...*	*15.95*	*15.95*	*...*	*15.95*	*59.20*	*...*	*59.20*
जोड़		**850.00**	**115.00**	**965.00**	**610.00**	**105.85**	**715.85**	**800.00**	**111.00**	**911.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.81	7.81	...	7.73	7.73	...	8.13	8.13
वानिकी और वन्यजीवन										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण	2406	8.85	7.03	15.88	7.96	5.69	13.65	8.90	6.98	15.88
3. अनुसंधान	2406	55.40	12.20	67.60	50.00	10.80	60.80	49.15	11.01	60.16
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	2406	3.00	4.81	7.81	3.00	4.81	7.81	4.00	5.40	9.40
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन	2406	5.10	...	5.10	5.10	...	5.10	4.50	...	4.50
	3601	21.65	...	21.65	5.50	...	5.50	19.25	...	19.25
	जोड़	*26.75*	*...*	*26.75*	*10.60*	*...*	*10.60*	*23.75*	*...*	*23.75*
6. वन्य जीवन संरक्षण	2406	19.00	1.88	20.88	21.00	1.57	22.57	20.50	1.65	22.15
	3601	72.13	...	72.13	58.85	...	58.85	77.05	...	77.05
	जोड़	*91.13*	*1.88*	*93.01*	*79.85*	*1.57*	*81.42*	*97.55*	*1.65*	*99.20*
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	0.50	3.27	3.77	0.50	2.96	3.46	0.50	3.01	3.51
	3601	15.35	...	15.35	16.03	...	16.03	15.35	...	15.35
	जोड़	*15.85*	*3.27*	*19.12*	*16.53*	*2.96*	*19.49*	*15.85*	*3.01*	*18.86*
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	0.74	0.74	...	0.72	0.72	...	0.72	0.72
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	5.80	...	5.80	5.80	...	5.80	6.00	...	6.00
9.02 समेकित वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास परियोजनाएं	2406	1.00	...	1.00	10.70	...	10.70	30.00	...	30.00
	3601	71.50	...	71.50	39.70	...	39.70	38.00	...	38.00
	जोड़	*72.50*	*...*	*72.50*	*50.40*	*...*	*50.40*	*68.00*	*...*	*68.00*
9.03 ईंधन काष्ठ और चारा परियोजनाएं	3601	31.00	...	31.00	18.80	...	18.80	22.00	...	22.00
9.04 औषधीय पौधों सहित लघु वन वृक्षारोपण	3601	16.00	...	16.00	16.44	...	16.44	16.50	...	16.50
9.05 अन्य कार्यक्रम	2406	0.70	...	0.70	1.25	...	1.25	1.50	...	1.50
	3601	1.45	...	1.45	1.07	...	1.07	0.70	...	0.70
	जोड़	*2.15*	*...*	*2.15*	*2.32*	*...*	*2.32*	*2.20*	*...*	*2.20*
9.06 सिविल विंग (वानिकी)	4406	4.75	...	4.75	4.75	...	4.75	6.00	...	6.00
	जोड़	*132.20*	*...*	*132.20*	*98.51*	*...*	*98.51*	*120.70*	*...*	*120.70*
जोड़-वानिकी और वन्यजीवन		**333.18**	**29.93**	**363.11**	**266.45**	**26.55**	**293.00**	**319.90**	**28.77**	**348.67**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण										
10. सर्वेक्षण										
10.01 वानस्पतिक	3435	5.50	11.00	16.50	4.00	10.29	14.29	4.00	11.36	15.36
10.02 प्राणी विज्ञान	3435	5.50	9.93	15.43	4.00	8.67	12.67	4.00	9.26	13.26
	जोड़	*11.00*	*20.93*	*31.93*	*8.00*	*18.96*	*26.96*	*8.00*	*20.62*	*28.62*
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार	3435	7.02	0.79	7.81	7.02	0.69	7.71	12.80	0.78	13.58
12. सरंक्षण कार्यक्रम	3435	4.05	...	4.05	5.04	...	5.04	8.50	...	8.50
	3601	9.20	...	9.20	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
	जोड़	*13.25*	*...*	*13.25*	*13.04*	*...*	*13.04*	*16.50*	*...*	*16.50*
13. पर्यावरणीय योजना निर्माण और समन्वय	3435	7.35	1.78	9.13	6.80	1.65	8.45	7.85	1.76	9.61
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन	3435	18.10	...	18.10	17.95	...	17.95	18.10	...	18.10
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	1.15	1.17	2.32	1.15	1.19	2.34	1.15	1.23	2.38
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. गंगा के प्रदूषण की रोकथाम	3435	131.05	...	131.05	65.64	...	65.64	190.95	...	190.95
	3601	79.00	...	79.00	63.00	...	63.00	...	...	...
	जोड़	*210.05*	*...*	*210.05*	*128.64*	*...*	*128.64*	*190.95*	*...*	*190.95*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम (उपकर)	3435	...	45.00	45.00	...	42.00	42.00	...	42.62	42.62
17.02 पर्यावरण प्राधिकारियों की स्थापना	3435	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50	2.50	...	2.50
17.03 अन्य स्कीमें	3435	32.90	7.50	40.40	26.46	7.00	33.46	30.90	7.00	37.90
	जोड़	*35.90*	*52.50*	*88.40*	*27.96*	*49.00*	*76.96*	*33.40*	*49.62*	*83.02*
18. प्रभाव मूल्यांकन	3435	6.60	0.09	6.69	4.00	0.08	4.08	8.60	0.09	8.69
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**252.55**	**52.59**	**305.14**	**160.60**	**49.08**	**209.68**	**232.95**	**49.71**	**282.66**
19. अन्य कार्यक्रम										
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	0.50	...	0.50	1.16	...	1.16	1.00	...	1.00
19.02 ताज संरक्षण मिशन	3435	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	35.00	...	35.00
	जोड़	*50.00*	*...*	*50.00*	*25.00*	*...*	*25.00*	*35.00*	*...*	*35.00*
19.03 पर्यावरणीय आयोग और न्यायाधिकरण	3435	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50
19.04 खतरनाक पदार्थ प्रबंध	3435	3.60	...	3.60	2.60	...	2.60	4.00	...	4.00
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05
	जोड़	*4.10*	*...*	*4.10*	*3.10*	*...*	*3.10*	*4.05*	*...*	*4.05*
19.05 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90
19.06 पर्यावरण सुधार परियोजना	3435	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
19..07 भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना	3435	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.01	...	0.01
19.08 भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना	3435	32.00	...	32.00	13.15	...	13.15	32.00	...	32.00
19.09 शहरी पर्यावरण प्रबंध परियोजना	3435	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
19.10 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम	3435	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	6.00	...	6.00
19.11 वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना	3435	3.50	...	3.50	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
19.12 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी	3435	7.00	...	7.00	...	...	...	...	...	...
19.13 ओजोन परत के संरक्षण के लिये तकनीकी सहायता	3435	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
19.14 अन्य	3435	0.02	...	0.02	3.00	...	3.00	7.54	...	7.54
	जोड़	*110.20*	*...*	*110.20*	*57.79*	*...*	*57.79*	*89.55*	*...*	*89.55*
20. पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर पूंजी परिव्यय	5425	11.20	...	11.20	11.20	...	11.20	13.20	...	13.20
21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के हितों के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एक मुश्त प्रावधान	2552	85.00	...	85.00	60.00	...	60.00	40.00	...	40.00
	4552	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
	जोड़	*85.00*	*...*	*85.00*	*60.00*	*...*	*60.00*	*80.00*	*...*	*80.00*
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**516.82**	**77.26**	**594.08**	**343.55**	**71.57**	**415.12**	**480.10**	**74.10**	**554.20**
कुल जोड़		***850.00***	***115.00***	***965.00***	***610.00***	***105.85***	***715.85***	***800.00***	***111.00***	***911.00***

ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. वानिकी और वन्य जीवन	12406	333.18	...	333.18	266.45	...	266.45	319.90	...	319.90
3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	431.82	...	431.82	283.55	...	283.55	400.10	...	400.10
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	85.00	...	85.00	60.00	...	60.00	80.00	...	80.00
जोड़		**850.00**	**...**	**850.00**	**610.00**	**...**	**610.00**	**800.00**	**...**	**800.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं** : इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **शिक्षा तथा प्रशिक्षण** :-

(क) **राज्य वन सेवा महाविद्यालय** : देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बटूर में 3 राज्य वन सेवा महाविद्यालय स्थित हैं। ये महाविद्यालय, एस.एफ.एस. अधिकारियों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(ख) **रेंजर्स कालेज** : रेंजर्स कालेज कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। यह कालेज राज्य वन विभागों के रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

(ग) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून** : यह अकादमी देहरादून स्थित भारतीय वन महाविद्यालय का उन्नयन करके तथा इसको वन अनुसंधान संस्थान से असम्बद्ध करके 25.5.1987 को स्थापित की गई थी। अकादमी में भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) **भारतीय वन प्रबंध संस्थान** : इस संस्थान की छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापना की गई थी ताकि वन्य आधारित उत्पादों तथा वृहत् वानिकीकरण के संरक्षण, स्थान और समय के अनुसार इसके इष्टतम उपयोग और उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि और विशेष वन कार्यक्रम से संबंधित प्रबन्धकीय कुशलता तथा विशेष योग्यता का विकास किया जा सके।

3. **अनुसन्धान** : यह व्यवस्था निम्नलिखित से सम्बन्धित है:-

(क) भारत में वर्तमान वनक्षेत्र को संरक्षित करने तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 31.12.1986 को भारतीय वानिकी अनुसन्धान और शिक्षा परिषद की स्थापना करके वानिकी अनुसंधान को पुनर्गठित किया गया था। आई. सी. एफ. आर. ई. को दिनांक 1.6.1991 से स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया है। वन-अनुसंधान संस्थान, देहरादून एक श्रेष्ठ अनुसंधान केन्द्र है। इसके अतिरिक्त, आई.सी.एफ.आर.ई. के विभिन्न क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए देश के विभिन्न पर्यावरणीय-भौगोलिक क्षेत्रों में निम्नलिखित पांच संस्थान हैं:

i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
ii) वन-आनुवंशिकी और वृक्ष उत्पादन संस्थान, कोयम्बटूर
iii) अस्थायी वन संस्थान, जबलपुर
iv) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
v) वर्षा तथा आर्द्र अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

(ख) भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्था, बंगलौर की स्थापना प्लाइवुड उद्योग और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1963 में हुई थी।

(ग) वन नीति और तैयारी :- इस व्यवस्था को विभिन्न राज्यों/संस्थाओं के विश्व बैंक मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों के अनुसार सलाहकारों द्वारा वानिकी परियोजनाओं को तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

4. **वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग** : भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियमित अंतराल पर व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें सरल वैज्ञानिक वानिकी आयोजना के लिए सूची के द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल है।

5. **वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन** : यह अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकने और वन भूमि को वन-भिन्न उपयोग में परिवर्तित करने को रोकने के लिए चल रहा कार्यक्रम है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन संरक्षण बल को सुदृढ़ बनाने, चराई पर नियंत्रण, सिर पर लकड़ी की गठरियों के रूप में ईधन लकड़ी ले जाने पर प्रतिबंध और वैकल्पिक ईधन की पूर्ति का पता लगाया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(क) **आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण का आरंभ** : योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वन अग्नि के निवारण, पता लगाने और नियंत्रण के सिद्धान्त तथा तकनीक बनाना, परीक्षण तथा प्रदर्शन करना है।

(ख) **जनजातीय विकास के लिए लाभ प्राप्त करने वाले के लिए योजना** : इस का उद्देश्य वृक्ष तथा बांस की खेती और संबंधित गतिविधियों के द्वारा वनों तथा वनों की सीमाप्रांत में रहने वाले जनजातीय परिवारों का आर्थिक पुनर्वास है।

(ग) **विकृत वनों के पुनर्जनन में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण गरीब लोगों का सहयोग** : योजना का उद्देश्य संसाधन आधार में सुधार करने के लिए विकृत वनों के पुनर्जनन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण गरीबों को शामिल करना है।

6. **वन्य जीवन संरक्षण** : भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करता है तथा वन्य जीवन पर दो वर्षीय एम.एस.सी. पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है। योजना अवैध शिकार और वन्य जीवन उत्पादों में अवैध व्यापार और गैंडों के संरक्षण सातवीं योजना के दौरान दो पृथक योजनाओं के रूप में विद्यमान थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसरण में इन योजनाओ को राज्यक्षेत्र को सौंप दिया गया। लेकिन गैंडों से सम्बन्धित योजना को हस्तांतरित करने का कार्य अनुपयोगी सिद्ध हुआ इसलिए योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है अवैध शिकार के नियंत्रण से सम्बन्धित योजना सुबह्मणियम समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनर्जीवित की जा रही है।

वन्य जीवन के संरक्षण के लिए संचालित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 'प्रोजेक्ट टाइगर' 'राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों का विकास' 'प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय विकास' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंटल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल वन्य जीवन की लुप्त प्रायः जातियों बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्था को भी संरक्षित करना है। अंतिम दो योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा वन्य उत्पादों पर उन की निर्भरता को कम करना भी है। योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से लगे हुए क्षेत्रों में आयोजना के जरिए विभिन्न विशेष सुविधाओं को बढ़ाना भी है।

7. **प्राणी उद्यान** : राष्ट्रीय प्राणी उद्यान देश का एकमात्र प्राणी उद्यान है, जो लुप्त होते जा रहे पशुओं के संरक्षण और प्रजनन का कार्य करता है और उन के व्यवहार, पुनर्जनन और पोषाहार के संबंध में अनुसंधान करता है।

8. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : इस स्कीम के अंतर्गत, वन उद्योग और वन्य जीवन से संबंधित विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

9. **राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम** : राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1992 में देश में वानिकीकरण संवर्धन, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनः स्थापन और पारिस्थितिकी विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ हुई। विकृत वन क्षेत्रों और भूमि के सम्पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिनमें वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारणों और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकी से संबंधित कमजोर क्षेत्र शामिल हैं।

10. **सर्वेक्षण-**

10.01 **वनस्पतिः** भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, निम्नलिखित कार्यों को देखता है (क) देश के विभिन्न भागों में वनस्पतियों का गहन अध्ययन (ख) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वनस्पतियों के रूप में पौधा सम्पति का संग्रह, देखभाल करना, उनका पता लगाना और उनकी सूची तैयार करना और (ग) आर्थिक और औषधियों के काम आने वाले पौधों का अध्ययन करना।

10.02 **प्राणी विज्ञानः** भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, समुद्री जन्तुओं सहित जन्तु समूहों के वर्गीकरण प्राणि विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान में समूह सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है।

11. **पर्यावरण संबंधी शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार** : यह मंत्रालय प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देता है। यह मंत्रालय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर पर और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरण संबंधी शिक्षा के संवर्धन का कार्य भी कर रहा है।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा केन्द्र है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और संवर्धन की दृष्टि से, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण संबंधी संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है ।

12. **संरक्षण कार्यक्रम,** 13. **पर्यावरण संबंधी आयोजना और समन्वय, और** 14. **अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जनन**

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय का लक्ष्य पारिस्थितिकी के विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी प्रणाली के पुनरूत्थान और विकृत क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्जनन में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस मंत्रालय

ने पर्यावरण सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन और प्रसार के लिए पर्यावरणीय सूचना प्रणाली भी स्थापित की है और इसने नशीले रासायनिक प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्र में दस सूचना केन्द्र भी स्थापित किए है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** :- इसमें पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनर्जनन के विकास के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान का प्रावधान किया गया है।

16. **गंगा के प्रदूषण का निवारण** : सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को कवर करने के लिए "गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथान और नियंत्रण" सम्बन्धी पूर्ववर्ती स्कीम के क्षेत्र को विस्तृत लिया गया है। राष्ट्रीय नदियों की प्रदूषित धाराओं की सफाई करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। कार्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम विपथन, सीवर की सफाई और पम्प सैटों के नवीकरण से संबंधित है। आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित स्कीमें इस प्रकार हैंः (i) नदी में गिरते हुए गंदे पानी को रोकना और उसका विपथन (ii) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधन प्राप्त करने के साथ गन्दे जल का शोधन (iii) कम लागत पर सफाई, जैविक संरक्षण आदि जैसे अन्य सफाई संबंधी उपाय। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 11 शहरी झीलों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए संरक्षण हेतु चिन्हीकृत किया गया है।

17. **वायु और जल प्रदूषण का निवारण** - इस प्रावधान में शामिल हैंः (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सहायता अनुदान; राज्य सरकारों/ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता और प्रदूषण संगत योजनाओं का वित्तपोषण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रावधान में सामान्य अपगामी अभिक्रिया संयंत्रों के संवर्धन के लिए दिया गया अनुदान शामिल है।

वर्ष 1992-93 के दौरान तीन नई स्कीमें, यथा, पर्यावरणीय लेखा परीक्षा, पर्यावरणीय सांख्यिकी और मानचित्रण तथा लघु उद्योगों द्वारा साफ सुथरी प्रौद्योगिकियां आरंभ की गई थीं।

18. **प्रभाव-मूल्यांकनः** 1997-98 के दौरान, पर्यावरण के संरक्षण के लिए चार प्राधिकरणों की स्थापना की गई। दो प्राधिकरणों की स्थापना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्दशों के अंतर्गत, एक प्राधिकरण की स्थापना दहानु अधिसूचना 1991 और माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुवर्ती आदेशों के अंतर्गत तथा एक प्राधिकरण पर्यावरण अपीलीय अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित किया गया। ये प्राधिकरण पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कार्रवाई करते हैं अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण, चर्म-शोधन शालाओं के कारण हुआ पर्यावरणीय अवक्रमण, दिल्ली विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं से उठने वाली समस्याएं और उन अपीलों का तत्काल निपटान जो विकास संबंधी परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने के आदेशों से उठी हों।

19. **अन्य कार्यक्रमः**

इन स्कीमों यथा, ताजमहल के संरक्षण सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता, पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण तथा खतरनाक पदार्थ प्रबंध का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय/राज्य अनुसंधान संस्थानों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी तकनीकी दक्षता से सहायता प्रदान करना है।

19.02 **ताज संरक्षण मिशनः** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने ताजमहल के पर्यावरणीय संरक्षण का काम शुरू किया है। यह कार्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और किए जाने वाले आवश्यक पर्यावरणीय उपायों से संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस काम में ताजमहल के चारों तरफ हरित-पट्टी बनाना भी शामिल है।

19.06 **पर्यावरण सुधार परियोजना** : यह बेरोजगार युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने तथा विभिन्न प्रकार की निम्नकोटि की भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने और पुनःस्थापन के दोहरे प्रयोजन को पूरा करता है।

19.07 **भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना (आई सी ई एफ)** : आई.सी.ई.एफ. का गठन मार्च, 1994 में दिल्ली में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अधीन हुआ था। समझौते के तहत कनाडा द्वारा उपहार में दी गई और सरकारी खाते में डाली गई निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री प्राप्तियां भारत में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आई.सी.ई.एफ. को दे दी जाती हैं। इसमें टी ई आर आई-कनाडा उर्जा क्षमता परियोजना भी शामिल है। यह योजना तकनीकी सहयोग के माध्यम से ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ा कर भारत में पर्यावरणीय दृष्टि से दुरस्त विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह परियोजना टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरि), इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आई आई एस डी) और पेम्बिना संस्थान के बीच एक बौद्धिक साझेदारी का सृजन करने के लिए है जो शिक्षा, और बाजार आधरित विश्लेषण तथा राजकोषीय और विनियामक दृष्टिकोणों के माध्यम से ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देगी।

19.08 **भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण परियोजनाः** इस परियोजना के अधीन केन्द्र बिन्दु बेहतर/संसूचित निर्णय करने की प्रक्रिया और पर्यावरणीय विधान लागू करने के लिए पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना है।

19.09 **शहरी पर्यावरण प्रबंध परियोजना** : इस परियोजना का उद्देश्य शहरी पर्यावरणीय प्रबंध का नियंत्रण करने वाली संस्थात्मक संरचना की पुनः इंजीनियरी तथा इस समय दिल्ली और सूरत के लिए एकीकरण विद्यमान अध्ययनों द्वारा भी पर्यावरणीय सेवाओं को सुधारने के लिए लागत-प्रभावी प्रौद्योगिक-विकल्पों का पता लगाने के लिए एक कार्ययोजना तैयरा करना है। इन कार्यक्रमों में पीताम्बर पंत फैलोशिप, राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध प्रणाली, जैव विविधता संरक्षण भी शामिल है।

19.10 **भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - पर्यावरण सहायता कार्यक्रमः** पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और नौवीं योजना के विकेंद्रीकरण तथा जन-सहभागिता से संबंधित प्रमुख मुद्दे पर आधारित है।

19.11 **वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना-** वर्गीकरण कार्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरों की पहचान करने के बाद वर्गीकरण में क्षमता निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है।

19.12 **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी**- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-डाइवर्सिटी देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के दुर्लभ जीन समूह का संरक्षण व अध्ययन करने के लिए स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिस में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और प्राचीन पौधे और पशु शामिल हैं। क्षेत्र की वागबानी संबंधी चिकित्सीय सूक्ष्म जैविकीय प्रचुर मानवजातीय जानकारी, जो अभी तक पूर्णतः उपलब्ध नहीं थी, उजागर की जाएगी।

20. **पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी पूंजी परिव्ययः** कोयम्बटूर और इलाहाबाद में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के मुख्य कार्यों और हैदराबाद, कालीकट जबलपुर और सोलन में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के निर्माण कार्य व भुवनेश्वर और भोपाल में प्राकृतिक इतिहास के संबंधी क्षेत्रीय संग्रहालय के लिए प्रावधान किया गया है।

21. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान वानिकी तथा वन्य जीवन के क्षेत्रों में स्कीमों के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।